

बि: अदालत अनुपस्थित पदाधिकारी मधुपुर।

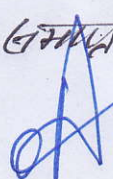
R.E. Case No 53/18-19

खानगी सिंग जमान-अनुपस्थित कोर्ट

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम
सं० एवं तारीख

आदेश पर की
कार्रवाई तारी
सहित

1	2	3
22.2.23	उक्त पक्ष अनुपस्थित। कोर्टक लगातार अनुपस्थित होने का रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्टक इस वाद में कोई कामचुकी नहीं रह गई है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाना है।  अनुपस्थित	